(1)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर निःशक्तजनों के बैकलाग के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 449/स्थापना/2015–16 **राजनांदगांव, दिनांक 10/12/2015**

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 7181/4061/2015/18 नया रायपुर दिनांक 23.09.2015 के अनुपालन में नगर पालिक निगम राजनांदगांव में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों में सहायक राजस्व निरीक्षक व भृत्य के निःशक्तजनों के बैकलाग पदों पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 में निहित प्रावधानों के तहत पदों की पूर्ति किया जाना है। योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 21.12.2015 तक कार्यालयीन अवधि में नीचे दिये गए विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव छ.ग. को संबोधित करते हुए रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट से भेजे जायें।

रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	अनारक्षित	अ. पि. व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पद का वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता/अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	सहायक राजस्व निरीक्षक	01	01	—	—	—	5200–20200 ग्रेड पे–1900	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण
2	भृत्य	06	02 (1 पद महिला)	01	01	02 (1 पद महिला)	4750–7440 ग्रेड पे–1300	8वीं उत्तीर्ण

उपरोक्त रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही पात्र होंगे। सभी पदो के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.12.2015 शाम 5:00 बजे तक।

सहायक राजस्व निरीक्षक (विकलांग हेतु)

1. वेतनबैण्ड 5200–20200 + ग्रेड पे 1900
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण ।
3. दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक की आयु न हो।
4. अस्थि बाधित विकलांग उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।
5. निर्धारित चयन प्रकिया के तहत कम्प्यूटर योग्यता हेतु कौशल परीक्षा ली जावेगी। जिसमें शेक्षणिक योग्यता एवं कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों का अनुपात क्रमशः 80:20अंक होकर मेरिट सूची तैयार होगी,चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा, साक्षात्कार नही होगा।

भृत्य पद (विकलांग हेतु)

1. वेतनबैण्ड 4750–7440 + ग्रेड पे 1300
2. कक्षा आठवीं उत्तीर्ण।
3. दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक की आयु न हो।

4. कार्य की उपयोगिता के आधार पर विकलांगता के प्रकार (अस्थि बाधित/मूक बाधित/श्रवण बाधित/नेत्रबाधित इत्यादि) को चयनित करने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जावेगा।
5. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन प्रक्रिया की जावेगी। साक्षात्कार नही होगा।

नियुक्ति की सामान्य शर्तें:–

1. आयु सीमा दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, निःशक्तजन उम्मीदवार एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के निर्देशानुसार होगा।
2. महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार आयु 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी। इस अधिकतम आयु सीमा तथा छूट की सीमा को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
3. उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य बनने की तिथि के बाद का सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए।
4. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार की अद्यतन फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन कर चिपकाये, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
6. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गए स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा जिन उम्मीदवारों द्वारा छानबीन समिति से जाति सत्यापन नही कराये गए है उनकी नियुक्ति होने पर तीन माह का समय छानबीन समिति से उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र सत्यपन कराये जाने के लिए अवसर दिया जावेगा। इसके बाद भी छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापित न कराये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
7. उम्मीदवार की आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं भृत्य पद के लिए प्राथमिक प्रमाण पत्र की अंकसूची मान्य होगी।
8. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नही दी जावेगी। आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गए निर्देशों को देखरकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण दी जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि एवं अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव, घटाया/बढ़ाया/निरस्त भी किया जा सकता है।
10. शासन के भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, या निर्देश जारी किया जा सकता है, तो इस विज्ञप्ति में वह लागू होगा।
11. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

12. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. किसी भी प्रकार के संशोधन या अन्य कोई सूचना केवल संबंधित वेबसाईट में प्रकाशित या अपलोड किया जावेगा, पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
14. आवेदन पत्र दिनांक प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.12.2015 शाम 5:00 बजे तक। छ0ग0 शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
15. ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कार्यावधि, भले ही यह कार्यावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक नही होगी।
स्पष्टीकरण :– छटनी किय गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 01 वर्ष तक रहा हो तथा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा से मुक्त किया गया हो।
16. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी। किंतु आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
17. विक्रम पुरस्कार,शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर पुरस्कार सम्मान,महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान पुरस्कार प्राप्त युवाओं को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। किंतु आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
18. बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक उम्मीदवारों को आयु सीमा में मिलने वाली छूट केवल 01 बार ही मिलेगी।
19. किसी भी उम्मीदवार को उपरोक्त किसी भी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
20. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
21. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतानो का जन्म होता हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरित नही होगा।
22. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो तथा कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।
23. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

24. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से सत्यापित कराना होगा।
25. नियुक्ति के पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। पुलिस सत्यापन में विपरीत टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
26. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अधीन कभी भी किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
27. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
28. यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नही होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा ऐसी जॉच (जो आवश्यक समझी जाए) पूर्ण न कर ली जावे।
29. मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी,उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
30. चयनित उम्मदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण टीप :— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं या नही तभी आवेदन प्रस्तुत करें। चयन के समय किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये जाने की जानकारी प्रकट होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर निःशक्तजनों के बैकलाग के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम
राजनांदगांव (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....
3. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम ....
5. लिंग (पुरूष / महिला) ....
6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
....
....
....
....

   (ब) स्थायी पता ....
....
....
....

7. (अ) जन्मतिथि (अंकों में) ....
   (ब) जन्मतिथि (शब्दों में) ....
   (स) दिनांक 01.01.2015 को आयु ....
   (यदि आवेदक आयु में छूट का कोई छावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार व दस्तावेज संलग्न करें)
8. क्या आवेदक छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? (निवास प्रमाण पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो संलग्न करें) ....
9. क्या आवेदक छ0ग0 राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? (वर्ग का नाम लिखें तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाती प्रमाण पत्र संलग्न करें। ....

10.विकलांगता का नवीनतम प्रमाण पत्र विकलांगता ....
का प्रकार दर्शित करते हुए जो कि जिला चिकित्सालय
के चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रदाय किया गया हो संलग्न करें।

10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? ....
(यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें।

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक ....

12. रोजगार कार्यालय का नाम ....
....
....

13. विवाहित/अविवाहित ....

14. विवाहित हों तो विवाह की तिथि ....

15. जीवित बच्चों की संख्या तथा उनकी जन्मतिथि 1..
2..

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता –

कमांक	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

17. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् है ? यदि हॉ तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति पत्र संलग्न करें।

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :– (स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए)

01..02..
03..04..
05..06..
07..08..
09..10..

दिनांक.............................स्थान..

आवेदक का हस्ताक्षर..
नाम व पूरा पता ....
....
....
मोबाईल /लैण्डलाईन नंबर..............................
....
ई.मेल..
(अनिवार्य रूप से भरें।)

घोषणा पत्र

मैं ....पति/पत्नि/पिता/अभिभावक.................................. ....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद् किये जाने के लिये मै पूर्णतः जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी ।

दिनांक...
स्थान...

आवेदक का हस्ताक्षर..
नाम व पूरा पता ....
....
....
मोबाईल /लैण्डलाईन नंबर..............................
....
ई.मेल..
(अनिवार्य रूप से भरें।)